पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 214

में

2017 का दिवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 11567

==========

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, मुख्य सचिवालय, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त और सचिव, समाज कल्याण विभाग (पहले कल्याण विभाग के नाम से जाना जाता था) बिहार सरकार, मुख्य सचिवासलय पटना।
3. निदेशक, एकीकृत बाल विकास सेवा, इंदिरा भवन दूसरी मंजिल, बोरिंग कैनाल रोड, पटना।
4. आयुक्त और सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, मुख्य सचिवायल, पटना।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, पटना।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, गया।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी, जहानाबाद।

....अपीलार्थीओं

बनाम

राजेन्द्र मिश्रा, स्वर्गीय राम सिहासन मिश्रा के पुत्र, गांव-बाद, डाकघर- बाद, थाना- काराकाट, जिला- रोहतास।

.....उत्तरदाता

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सुनील कुमार मंडल, अधिवक्ता
श्री विपिन कुमार, ए सी से एस सी-3

उत्तरदाता के लिए : श्री डी.के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

==========

संदर्भित मामले:

• पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम जगजीत सिंह एवं अन्य, (2017) 1 एससीसी 148 में रिपोर्ट किया गया

• पी.यू. जोशी एवं अन्य बनाम महालेखाकार, अहमदाबाद एवं अन्य, (2003) 2 एससीसी 632 में रिपोर्ट किया गया

• भारत संघ एवं अन्य बनाम पुष्पा रानी एवं अन्य, (2008) 9 एससीसी 242 में रिपोर्ट किया गया

• यू.ओ.आई. बनाम हरजीत सिंह संधू, (2001) 5 एससीसी 593 में रिपोर्ट किया गया
• ड्यूपोट्र्स स्टील लिमिटेड बनाम सरस, (1980) 1 एएलएल ईआर 529

एलपीए - एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका में दिए गए आदेश के खिलाफ दायर किया गया, जिसमें यह माना गया कि प्रतिवादी 6 वें वेतन संशोधन के पात्र हैं, जिसे राज्य सरकार में 01.04.2007 से प्रभावी किया गया।

प्रतिवादी को 1985 में बीआईएससीओएमएयूएन में सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाओं को 1986 में आईसीडीएस, समाज कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया और उनकी सेवाओं को राज्य विभाग में केवल 2013 में समाहित किया गया।

निर्णय - 6 वें वेतन संशोधन का लाभ, जिसे 01.04.2007 से प्रभावी किया गया, देने का प्रश्न स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिवादी को सरकारी सेवा का दर्जा केवल 05.09.2013 से प्राप्त हुआ है। (पैरा 3)

प्रतिवादी 05.09.2013 की उनकी समाहित तिथि की वैधता पर सवाल उठाने में विफल रहे हैं। इस सीमा तक, वे 1996 में उनकी प्रतिनियुक्ति की तिथि से पिछली तिथि से समाहित होने के हकदार नहीं हैं। 2013 में भविष्य की समाहित प्रक्रिया को चुनौती न देने की स्थिति में, प्रतिवादी पिछली तिथि से समाहित होने का दावा नहीं कर सकते। इसके अलावा, राज्य सरकार की 2013 की नीति निर्णय के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जो विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर थे, उन्हें केवल भविष्य में ही समाहित किया जाना था। - नीति निर्णय को इस न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। (पैरा 7)

एलपीए आंशिक रूप से स्वीकृत है। (पैरा 4)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री
और
माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती जी. अनुपमा चक्रवर्ती
मौखिक निर्णय
(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री)

तारीख: 20-07-2024

अपीलकर्ताओ ने 2017 के सी.डब्लयू.जे.सी. सं.- 11567/2017 में पारित दिनांकित 17.01.2020 विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दिया है।

2. प्रत्यर्थी राजेन्द्र मिश्रा की शिकायत थी कि वह छठे वेतन संशोधन के हकदार है, जिसे राज्य सरकार में 01.04.2007 से प्रभावी कर दिया गया है। उनका सेवा विवरण निम्नानुसार हैं:

(I) उन्हें तत्कालीन राइस मिल में सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो 31.01.1985 में बिस्कोमान का हिस्सा है।
(ii) उनकी सेवाओ को आई.सी.डी.एस. समाज कल्याण विभाग में 06.12.1996 पर प्रतिनियुक्त किया गया है।
(iii) उनकी सेवाओं को 05.09.2013 पर राज्य-विभाग में समाहित किया गया था।
(iv) छठे वेतन संशोधन को 01.04.2007 से प्रभावी किया गया था।

3. राज्य सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे ऐसे व्यक्तियों के लिए एक नीतिगत निर्णय किया है. जो 29.07.2013 पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं, जिसे जहाँ तक प्रतिवादी राजेन्द्र मिश्रा का संबंध है 05.09.2013 पर प्रभावी किया गया है, इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी राजेन्द्र मिश्रा का अवशोषण संभावित प्रकृति का है, यह मानते हुए भी कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव है जो केवल 29.07.2013 से प्रभावी होगा, यानी 05.09.2013 पर अवशोषण की तारीख से दो महीने से भी कम समय पहले। इस पृष्ठभूमि में, छठे वेतन संशोधन का लाभ अवशोषण की तारीख से

दो महीने से भी कम समय पहले। इस पृष्ठभूमि में, छठे वेतन संशोधन का लाभ बढ़ाने का सवाल, जिसे 01.04.2007 से प्रभावी किया गया था, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उन्हें केवल 05.09.2013 से ही सरकारी सेवा का दर्जा प्राप्त था। 2017 के सी.डब्लयू.जे.सी. सं.-11567 को अनुमति देते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसे ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरे शब्दों मे, प्रतिवादी राजेन्द्र मिश्रा छठे वेतन संशोधन का लाभ प्राप्त करने के हकदार है। जो 01.04.2007 पर लागू किया गया, केवल 05.09.2013 से प्रभावी, जिस तारीख को उनकी सेवाओं को राज्य सरकार के विभाग में अवशोषित किया गया था। उस हद तक विद्वान एकल न्यायाधीश ने त्रुटि की है। इसलिए अपीलकर्ताओं ने एक मामला बनाया है ताकि 2017 के सी.डब्लयू.जे.सी. सं.-11567 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक-17.01.2020 के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके और इसे अलग कर दिया जाता है। संबंधित अपीलार्थी को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह छठे वेतन संशोधन का लाभ केवल प्रतिवादी राजेन्द्र मिश्रा को 05.09.2013 से प्रदान करे। यदि इसे पहले ही नहीं बढ़ाया गया है, जो इसे इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर बढ़ाया जाएगा और इसी तरह 05.09.2013 से आज तक की अवधि के दौरान परिणामी मौद्रिक लामी भी दिए जाएंगे।

4. तदनुसार, वर्तमान एल.पी.ए. की भाग अनुमति है।

5. इस स्तर पर, प्रत्याशी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डी. के. सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि वर्त्तमान मामला विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के अंतर्गत आता है। **चनारिक बैठा** के मामले में **सी०डब्लू०जे०सी सं0-6834/2017** पारित किया गया, जिसका निर्णय **20 अगस्त, 2018** को हुआ। उपरोक्त विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश 2019 के एल०पी०ए० सं.-1293 का विषय था जिसमें एल०पी०सी० को खारिज कर दिया गया था।

6. अपीलार्थीयों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चनारिक बैठा अवशोषण आदेश की वैधता पर इस हद तक सवाल उठाने में विफल रहे थे कि उन्हें पूर्वव्यापी तिथि से तब तक अवशोषित किया जाना चाहिए था जब तक कि वर्ष 2013 में जारी अवशोषण आदेश पर हमला नहीं किया जाता हैं और इस न्यायालय से हद तक निर्देश की मांग की जाती है कि वह प्रतिनियुक्ति की तारीख से अवशोषित होने का हकदार है, यानी 06.12.1996 से, वर्तमान प्रतिवादी का अधिकार नहीं है। इस तरह के मुद्दे पर चनारिक बैठा के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा और इसलिए समन्वय पीठ द्वारा भी विचार नहीं किया गया है। इसलिए तथ्यात्मक पहुलओं का मूल्यांकन नहीं किया गया हैं । इसके आलावा, प्रतिनियुक्तिवादियों को शामिल करने का राज्य नीति निर्णय 2013 में लिया गया था और इसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हैं । अगर इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है तो भी बड़ी संख्या में सेवा उम्मीदवारों के आधिकार प्रभावित होंगे और प्रशासनिक अराजकता होगी।

7. हमने देखा है कि प्रतिवादी राजेन्द्र मिश्रा अपने अवशोषण दिनांक-05.09.2013 की वैधता पर सवाल उठाने में विफल रहे हैं। उस हक तक, वह वर्ष 1996 में अपनी प्रतिनियुक्ति की तारीख से पूर्वव्यापी अवशोषण का हकदार नहीं है। वर्ष 2013 में संभावित अवशोषण के लिए चुनौती के अभाव में प्रतिवादी पूर्वव्यापी अवशोषण का दावा करने का हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, राज्य के नीतिगत निर्णय लगातार राज्य के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के समावेशन से संबंधित सरकार को केवल भावी कर्मचारियों को ही शामिल करने की आवश्यकता थी। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय में इस वाद तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि उनकी प्रतिनियुक्ति की तारीख से अवशोषण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा नीतिगत निर्णय को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, उपरोक्त निर्णय प्रतिवादी की सहायता नहीं करता है। इसके

अलावा, चनारिक बैठा के मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश और समन्वय पीठ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वर्ष 2013 में राज्य नीति का मुद्दा संभावित था और चानारिक बैठा ने संभावित अवशोषित को चुनौती नहीं दी थी।

8. लगभग समान मामले में, इस न्यायालय ने 2018 के एल०पी०सी० सं0-185 और संबंधि तमामले में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है इसमें उत्तरदाताओं का नियमितीकरण जून 2014 के महीने में नियमित किया गया था, जबकि उन्होनें 14.07.2006 से 19.06.2014 तक की मध्यवर्ती अवधि के दौरान वेतन ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० और अन्य लाभों का दावा किया था। वे उत्तरदाता जिन्होंने दावा किया कि वे जुलाई, 2006 से नियमितीकरण के हकदार है। दूसरी ओर, 20.06.2014 से सेवाओं को नियमित किया गया था। उन्होनें सेवा का दावा करने के लिए 20.06.2014 से संभावित नियमितीकरण पर भी हमला नहीं किया है जुलाई, 2006 से जून, 2014 तक के सेवा लाभो का दावा करने के लिए। दूसरी ओर, यह देखा गया कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में इस पद से जुड़े न्यूनतम वेतनमान के हकदार है **पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह एवं अन्य (2017) 1 एस०सी०सी० 148** में रिपोर्ट किया। इससे पहले यह 2018 के एल०पी०सी० सं०-185 (बीरेन्द्र कुंवर बनाम बिहार राज्य और अन्य) में मुकदमें का विषय था याचिकाकर्ता ने एस०एल०पी०(सिविल) डायरी सं0-21623/2023 को वापस लेने इस अदालत का दरवाजा खटखटाये की स्वतंत्रता एक बार फिर एल०पी०ए० सं०-1791/2018 और संबंधित मामलो पर 15.02.2024 को निर्णय लेने की स्वतंत्रता मांगी। इस सीमा तक कि संभावित नियमितीकरण को चुनौती देने की अनुपस्थिती में इसमें उत्तरदाता जुलाई 2006 से 19.06.2014 पर नियमितीकरण की तारीख तक पद से जुड़े किसी भी मैद्रिक लाभ के हकदार नहीं है। इस हद तक कि उनका नियमितीकरण प्रकृति में संभावित था, इसलिए भी संभावित नियमितीकरण के लिए

कोई चुनौती नहीं थी और यह चाहते हुए कि वे 14.07.2006 से प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी नियमितीकरण के हकदार हैं, वही सिद्धांत हाथ में मामले पर लागू होता है। इस प्रकार, प्रतिवादी राजेन्द्र मिश्रा ने 01.0**8.** लगभग समान मामले में, इस न्यायालय ने 2018 के एल०पी०सी० सं0-185 और संबंधि तमामले में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है इसमें उत्तरदाताओं का नियमितीकरण जून 2014 के महीने में नियमित किया गया था, जबकि उन्होनें 14.07.2006 से 19.06.2014 तक की मध्यवर्ती अवधि के दौरान वेतन ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० और अन्य लाभों का दावा किया था। वे उत्तरदाता जिन्होंने दावा किया कि वे जुलाई, 2006 से नियमितीकरण के हकदार है। दूसरी ओर, 20.06.2014 से सेवाओं को नियमित किया गया था। उन्होनें सेवा का दावा करने के लिए 20.06.2014 से संभावित नियमितीकरण पर भी हमला नहीं किया है जुलाई, 2006 से जून, 2014 तक के सेवा लाभो का दावा करने के लिए। दूसरी ओर, यह देखा गया कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में इस पद से जुड़े न्यूनतम वेतनमान के हकदार है **पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह एवं अन्य (2017) 1 एस०सी०सी० 148** में रिपोर्ट किया। इससे पहले यह 2018 के एल०पी०सी० सं०-185 (बीरेन्द्र कुंवर बनाम बिहार राज्य और अन्य) में मुकदमें का विषय था याचिकाकर्ता ने एस०एल०पी०(सिविल) डायरी सं0-21623/2023 को वापस लेने इस अदालत का दरवाजा खटखटाये की स्वतंत्रता एक बार फिर एल०पी०ए० सं०-1791/2018 और संबंधित मामलो पर 15.02.2024 को निर्णय लेने की स्वतंत्रता मांगी। इस सीमा तक कि संभावित नियमितीकरण को चुनौती देने की अनुपस्थिती में इसमें उत्तरदाता जुलाई 2006 से 19.06.2014 पर नियमितीकरण की तारीख तक पद से जुड़े किसी भी मैद्रिक लाभ के हकदार नहीं है। इस हद तक कि उनका नियमितीकरण प्रकृति में संभावित था, इसलिए भी संभावित नियमितीकरण के लिए कोई चुनौती नहीं थी और

यह चाहते हुए कि वे 14.07.2006 से प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी नियमितीकरण के हकदार हैं, वही सिद्धांत हाथ में मामले पर लागू होता है। इस प्रकार, प्रतिवादी राजेन्द्र मिश्रा ने 01.04.2007 से प्रभावी छठे वेतन संशोधन के लाभ का दावा करने का मामला नहीं बनाया है। दूसरी ओर, वह 05.09.2013 से प्रभावी छठे वेतन संशोधन का लाभ उठाने का हकदार है जैसा कि पहले देखा गया था।

9. हमने देखा है कि प्रत्यर्थी ने राज्य नीति दिनांक-29.07.2013 और उसके अवशोषण दिनांक- 05.09.2013 को चुनौती नहीं दी। राज्य की आगे की अवशोषण नीति में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती क्योंकि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में आएगी जैसा कि **पी०यू० जोशी और अन्य बनाम महालेखाकार, अहमदाबाद और अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है **(2003) 2 एस०सी०सी० 632** और **भारत संघ और अन्य बनाम पुष्प रानी और अन्य** ने रिपोर्ट की **(2008) 9 एस०सी०सी० 242** में बताया कि प्रिस्क्रिप्शन किसी भी पद या किसी भी सेवा शर्त के लिए योग्यता यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में है न कि न्यायालय के। **यू०ओ०आई बनाम हरजीत सिंह संधू** के मामले में ने **(2001) 5 एस०सी०सी० 593** में बताया कि यह देखा गया कि न्यायालयों को चेतावनी दी जाती है कि वे व्याख्या की आड़ में विधायी कार्य को हड़पने के हकदार नहीं है। **डुपोर्टस स्टील लिमिटेड बनाम सर्स, (1980) 1 ए०एल०एल० ईआर 529** के मामले में भी ऐसा ही विचार था।

(पी.बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(जी. अनुपमा चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति)

पी.एस./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।